भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3547
उत्तर देने की तारीख: 20.12.2021

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना

3547. श्री रवि किशन:
श्री हरीश द्विवेदी:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
डॉ. रामशंकर कठेरिया:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का विचार कला, विज्ञान और वाणिज्य विषय के छात्रों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उक्त योजना को लागू करने का है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पाठ्यक्रम की अवधि कितने वर्ष की है; और
(घ) उत्तर प्रदेश में उक्त योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) देश में मुंबई, कानपुर, चेन्नई और कोलकाता में स्थित चार क्षेत्रीय शिक्षु/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी/बीओपीटी) के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य इंजीनियरिंग स्नातकों, डिप्लोमा धारकों, बी.ए, बी.एससी और बी.कॉम जैसे सामान्य स्ट्रीम में स्नातक और इंजीनियरिंग के सैंडविच कार्यक्रम में डिग्री और डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्रों को किसी भी उद्योग/प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण का एक कोर्स प्रदान करना है। यह योजना "शिक्षु अधिनियम, 1961" और "शिक्षुता नियम, 1992" के अनुसार लागू की गई है।
(ख) और (ग) जी, हाँ । इस योजना के तहत शिक्षुता की अवधि न्यूनतम छह महीने से लेकर तीन साल तक है।
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में एनएटीएस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार है:

2018-19	4326
2019-20	4284
2020-21	3330

****